भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(भारत गणराज्य)

और

सर्वेक्षण एवं मानचित्रण प्राधिकरण
(स्लोवेनिया गणराज्य)

के बीच

समझौता ज्ञापन

स्लोवेनिया गणराज्य की प्रतिनिधि सर्वेक्षण एवं मानचित्रण प्राधिकरण एवं भारत गणराज्य की प्रतिनिधि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रूप से "पक्षकारों" के रूप से संदर्भित किया गया है,

डिजिटलीकरण के मुद्दों के साथ-साथ जियोडेसी, मानचित्रकला (कार्टोग्राफी) और भू-स्थानिक डेटा की आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को मान्यता देकर,

समानता और पारस्परिकता के आधार पर दोनों पक्षकारों के राष्ट्रीय विधान के कानूनी नियमों के प्रति आदर दिखाने की आवश्यकता का अनुसरण करते हुए ,

निम्न बिन्दुओं पर सहमत हुए :

I. उद्देश्य

इस सहमति ज्ञापन (इसके पश्चात इसे ज्ञापन कहा जाएगा) का उद्देश्य पक्षकारों के बीच भू-स्थानिक डोमेन से संबंधित गतिविधियों के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करना और आपसी संबंधों को मजबूत करना है ।

II. ज्ञापन का दायरा

दोनों पक्ष अपनी सक्षमता में रहते हुए निम्न बिन्दुओं के माध्यम से सहयोग करेंगे :

(क) डिजिटलीकरण के साथ-साथ जियोडेसी, मानचित्रकला (कार्टोग्राफी) और भू-स्थानिक डेटा की आधारभूत संरचना के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा अपनी सक्षमता के भीतर रहते हुए सभी मुद्दों पर ज्ञान एवं अनुभव का आदान प्रदान करना ।

(ख) पेशेवर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुगम बनाना ।

(ग) स्लोवेनिया गणराज्य और भारत गणराज्य के सुसंगत वैज्ञानिक और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को सुगम बनाना ।

III. सहयोग के प्रकार

इस ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग निम्न प्रकार से होगा :

क. पक्षकारों के विशेषज्ञों के आपसी दौरे ।

ख. पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं और प्रलेखन का आदान -प्रदान ।

ग. स्लोवेनिया गणराज्य एवं भारत गणराज्य के विशेषज्ञों के लिए व्यक्तिगत और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से बैठकें, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना ।

घ. पक्षकारों के कार्मिकों और इच्छुक संस्थाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना; और

ङ. सहयोग का अन्य कोई रूप जिस पर दोनों पक्ष अपनी क्षमता के अनुसार संयुक्त रूप से विचार कर सकें । सुझाई गई गैर – बाध्यकारी गतिविधियां "परिशिष्ट-'ए'" में सूचीबद्ध है ।

IV. कार्यान्वयन एवं संयुक्त कार्य समूह

पक्षकार प्रासंगिक गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा इस ज्ञापन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श के लिए अपने-अपने प्रतिनिधि नामित करेंगे।

पक्षकार गतिविधियों के परिणामों तथा समन्वय पर चर्चा करने के लिए संयुक्त बैठकें आयोजित कर सकते हैं ।

V. वित्तीय व्यवस्था

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष अपनी गतिविधियों/दायित्वों के निर्वहन में होने वाले व्यय और खर्च स्वयं वहन करेगा एवं जब तक दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार व्यय के बारे में लिखित रूप से सहमति न बनी हो, कोई भी पक्ष किसी भी व्यय के लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ दावा नहीं करेगा ।

VI. बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण

जब तक कि पक्षकार अन्य रूप से सहमत न हो इस सहमति ज्ञापन के फ्रेमवर्क के भीतर सहयोग के दौरान उत्पन्न या स्थानांतरित होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और उपयोग से संबन्धित मुद्दे, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर स्लोवेनिया गणराज्य एवं भारत गणराज्य की सरकार के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और उपयोग पर स्थापित प्रोटोकॉल तथा दोनों पक्षकारों के राष्ट्रीय कानूनों एवं अंतरराष्ट्रीय करारों द्वारा अधिशासित होंगे ।

VII. गोपनीय सूचना की अभिरक्षा

पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि इस ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान उन सूचनाओं एवं दस्तावेजों जिन तक पहुँच को दोनों पक्षकारों के राष्ट्रीय विधान द्वारा सीमित कर दिया गया है, का आपस में आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा ।

पक्षकार अपने संबंधित राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान या संयुक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी, दस्तावेज़, सामग्री और उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दोनों पक्षकार इस ज्ञापन के तहत प्राप्त या उत्पन्न गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए उस स्तर के आवश्यक उपाय करेंगे जिस स्तर के आवश्यक उपाय वे स्वयं की गोपनीय जानकारी के लिए करते हैं। इस ज्ञापन के अंतर्गत गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं का इस्तेमाल दूसरे पक्षकार के हितों को हानि पहुँचाने में नहीं किया जाएगा ।

दोनों पक्ष इस ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग की रूपरेखा के दायरे में प्रदान की गई सूचनाओं का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए करेंगे जिसके लिए सूचना उपलब्ध

करवाई गई है एवं सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को ऐसी सूचना का खुलासा नहीं करेंगे ।

VIII. पुनरावृत्ति एवं संशोधन

इस ज्ञापन में किसी भी समय पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से संशोधन किया जा सकता है। ये संशोधन धारा 10 के प्रथम पैरा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होंगे ।

IX. विवाद का समाधान

इस ज्ञापन की व्याख्या, कार्यान्वयन और अनुप्रयोग पर पक्षकारों के बीच होने वाले किसी भी मतभेद को पक्षकार मैत्रीपूर्ण ढंग से परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से हल करेंगे ।

X. प्रवर्तन, अवधि, नवीकरण एवं समाप्ति

यह ज्ञापन, हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रभावी हो जाएगा एवं 5 (पाँच) वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा । जब तक कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसकी वैधता समाप्त होने से 6 (छह) महीने पहले इस ज्ञापन को समाप्त करने के लिए लिखित रूप से अधिसूचित न करे इस ज्ञापन का स्वतः आगामी 5 (पाँच) वर्षो के लिए विस्तार हो जाएगा ।

यह ज्ञापन किसी भी पक्ष की लिखित सूचना पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में ज्ञापन समाप्ति की अधिसूचना प्राप्ति की तारीख के 6 (छह) महीने बाद समाप्त कर दिया जाएगा ।

पक्षकारों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकसित करने के उद्देश्य से इस सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं,यह ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी हो । इस ज्ञापन के किसी भी प्रावधान को कानूनी अधिकार या बाध्यता के रूप में व्याख्यायित एवं

कार्यान्वित नहीं किया जाएगा ।

ज्ञापन हिन्दी, स्लोवेनियाई और अंग्रेजी में दिनांक 27 नवंबर **2025** को नई दिल्ली में प्रत्येक की दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए हैं । दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस ज्ञापन के पाठ की व्याख्या में किसी भी मतभेद के मामले में अंग्रेजी पाठ का उपयोग किया जाएगा ।

कृते भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(भारत गणराज्य)

नाम : हितेश कुमार एस. मकवाणा, भा.प्र.से.
पदनाम : भारत के महासर्वेक्षक

कृते सर्वेक्षण एवं मानचित्रण प्राधिकरण
(स्लोवेनिया गणराज्य)

नाम : टोमाज़ पेटेक
पदनाम: महानिदेशक

परिशिष्ट-ए

स्लोवेनिया गणराज्य के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण प्राधिकरण तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच सहयोग के संभावित रूपों की गैर-बाध्यकारी सूची

यह सूची संभावित सहयोग के सांकेतिक और गैर–बाध्यकारी रूपों को दर्शाती है जिनका पक्षकार पारस्परिक सहमति के माध्यम से तथा उपलब्ध संसाधनों व संस्थागत प्राथमिकताओं के अंतर्गत अन्वेषण एवं कार्यान्वयन कर सकते हैं ।

1. **ज्ञान एवं सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान - प्रदान**
   - लैंड कैडेस्ट्रे,बिल्डिंग कैडेस्ट्रे तथा रियल एस्टेट रजिस्टर के प्रबंधन में अनुभवों का आदान -प्रदान।
   - स्पेशियल प्लानिंग एवं ज्योडीय प्रबंधन के लिए सफल डिजिटल समाधानों का प्रस्तुतीकरण।
   - संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के दौरे एवं तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन ।

2. **तकनीकी समाधानों का संयुक्त विकास**
   - जी आई एस (भौगोलिक सूचना प्रणाली), रिमोट सेन्सिंग एवं स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अनुप्रयोगों एवं उपकरणों के विकास में सहयोग ।
   - भूमि उपयोग परिवर्तनों की निगरानी के लिए 3D स्पेशियल मॉडलिंग, डिजिटल ट्विन तथा सैटेलाइट एवं ड्रोन इमेजरी के उपयोग में संयुक्त पायलट परियोजनाओं को लागू करना ।

3. **मानकीकरण एवं डेटा अंतरप्रचालनीयता**
   - INSPIRE तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पेशियल डेटा पहलों एवं मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित ज्ञान का आदान – प्रदान
   - क्रॉस बॉर्डर एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में संयोजन

4. **शिक्षा एवं क्षमता निर्माण**
   - दोनों देशों के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के लिए

संयुक्त प्रशिक्षण सत्रों , वेबिनारों एवं पेशेवर सेमिनारों का आयोजन ।

- ज्योडेसी एवं स्पेशियल डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों एवं छात्रों की आवाजाही को बढ़ावा देना ।

5. **अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं एवं वित्तपोषण अवसरों में संयुक्त अनुप्रयोग**
   - अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे UN-GGIM,विश्व बैंक, यूरोपियन यूनियन आदि) द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में सहयोग के लिए अवसरों की पहचान करना ।
   - भूमि प्रशासन एवं स्थानिक शासन में सुधार पर केंद्रित संयुक्त परियोजना प्रस्ताव तैयार करना ।

6. **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए समर्थन**
   - वैश्विक विकास लक्ष्यों विशेष रूप से स्पेशियल प्लानिंग, भूमि प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के साथ कदम से कदम मिलाना ।